मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
"मंत्रालय"

क्रमांक एफ 6-12/2003/1/9 भोपाल, दिनांक 12 जून, 2003

प्रति,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय.—अनुसूचित जाति/जनजाति की समस्याओं के निराकरण बाबत्.

शासन के ध्यान में यह आया है कि स्थानांतर के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी संघों से प्राप्त आवेदन-पत्रों पर संबंधित विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं की जाती है.

2. अतः निर्देशानुसार अनुरोध है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी संघों से प्राप्त स्थानांतर आवेदन-पत्रों पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये एवं उन्हें की गई कार्यवाही से अवगत कराया जाये.

3. कृपया उपरोक्त निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये.

हस्ता./-
(एस. एस. वानखेड़े)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.